राजस्थान विश्वविद्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, (राज.) – 302004

क्रमांक :एफ–9/सा.प्र./स्टोर/2024/2579

दिनांक : 10/09/2024

स्मरण–पत्र

समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/समन्वयक/विभागाध्यक्ष/सचिव स्पोर्ट बोर्ड/
प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय/मुख्य/समस्त आवासाधिकारी/
अभियंता/प्रभारी अधिकारी/वि.वि. प्रेस/अतिथि गृह व अन्य
शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक विभाग तथा कार्यालय, रा.वि.वि., जयपुर।

विषयः– भौतिक सत्यापन एवं नीलामी के संबंध में।

महोदय,

इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व परिपत्र क्रमांकः एफ–9/सा.प्र./स्टोर/2023/21414–21473 दिनांकः 23.09.2023 एवं क्रमांक 22193–22263 दिनांक 25.10.2023 के द्वारा सूचित किया गया था कि आप अपने विभाग/महाविद्यालय का भौतिक सत्यापन करवाकर अनुपयोगी सामान निर्धारित प्रक्रिया के तहत संलग्न प्रोफार्मा (GF&AR-II Form-5 एवं SR Form-6) में उल्लेखित विवरणानुसार अंकित करते हुए सूची यथासमय भिजवाये जाने हेतु अवगत कराया गया था।

उपरोक्त तिथि से निर्धारित अवधि पश्चात् भी अधिकांश विभागों, महाविद्यालयों के द्वारा न तो भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट प्रस्तुत की है और न ही अनुपयोगी सामान प्रदान किया है।

अतः इस पत्र के माध्यम से पुनः स्मरण कराया जाता है कि वांछित कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए, जिन विभागों एवं महाविद्यालयों ने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है वे पत्र प्रेषण की तिथि से 10 दिवस में निष्पादित करवाकर नीलामी योग्य सामान अपने परिसर में ही एकत्रित कर सूची सा.प्र. अनुभाग (स्टोर) को भिजवाना सुनिश्चित करावें। ऐसी स्थिति में स्वच्छता का अभाव एवं भवनों में अनुपयोगी सामान पाये जाने तथा भौतिक सत्यापन संबंधित ऑडिट आपत्ति के लिये संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

10.9.2024

उप कुलसचिव (सा.प्र.)